न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–3/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/3)

1. इस्लामुददीन पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी तेली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर।
2. रजब पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी तेली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गन्ना मेहरा पत्नी ललित नारायण मेहरा जाति कहार निवासी 3134 कालीमाई मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 राजस्व वाद संख्या 25/2022.

उपस्थितः–

1. श्री दीपक पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः– 23.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलांट्स एवं राज्य सरकार उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्स ने जवाब पेश किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी खेत पर आवागमन हेतु ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 168 व ग्राम दिलवाडा के खसरा नम्बर 566 का उपयोग किया जाता है। अपीलांट्स के खेतों में रेस्पोडेंट संख्या 1 का कोई आवागमन नहीं है। अपीलांट्स के खेत में चारों तरफ चारदीवारी बनी हुई है व चद्दर का गेट लगा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को चाहे गए मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सुलभ रास्ता प्राप्त करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 566 व 168 के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर व उसमें प्रस्तुत कुछ तथ्यों की अवहेलना करते हुए आदेश दिनांक 6.10.2023 पारित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगैर अध्ययन किए निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित करने में इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि मौका रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि खसरा नम्बर 166 के काश्तकार काश्त करने हेतु ट्रांस्पोर्ट नगर के रास्ते से आते जाते है जिसके आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में मौका रिपोर्ट में इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि खसरा संख्या 166 से लगता हुआ खसरा संख्या 168 मौके पर रिक्त है तथा काश्त के अभाव में कई वर्षो से खाली पडा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 166 के काश्तकारों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी जो कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है तथा इस आधार पर आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 168/1489 व खसरा संख्या 566/1871 के चारों और चारदीवारी बनी हुई है जिनके सामने लोहे का गेट लगा हुआ है तथा जो कि आदेश की पालना में बनी चारदीवारी को ध्वस्त किए जाने की आशंका है व अपीलांट्स को उक्त आदेश की पालना से नुकसान कारित होने की आशंका है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना के विरूद्ध जाकर तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने पर भी आदेश पारित कर अपीलांट्स के अधिकारों पर कुठाराघात कारित किया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीया/रेस्पोडेंट के पास खसरा संख्या 166 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है फिर भी उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थीया/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि कारित की है जो कि जैर अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 0.18 की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी की है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 168/1489 व ग्राम दिलवाडा के खसरा नम्बर 566/1871 का उपयोग करता है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता प्रार्थीया के पास एकमात्र है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः ग्राम बारापत्थर के खसरा नम्बर 168/1489 व ग्राम दिलवाडा के खसरा नम्बर 566/1871 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीया को दिलवाया जावे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.11.2022 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 2.2.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अन्य अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 13.9.2023 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषक ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 27.9.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषक ने वकालतनाम प्रस्तुत किया व जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 6.10.2023 को नियत की गई। दिनांक 6.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी आराजीयात के खसरा नम्बर 166 रकबा 0.18 में आवागमन हेतु रास्ता नहीं होने से वर्तमान अपीलांट्स के खसरा नम्बर 566/1871 व 168/1489 में से 30 फीट रास्ता दिए जाने बाबत अनुतोष चाहा। पटवारी हल्का बारपत्थर, पटवारी हल्का दिलवाडा व भूअभिलेख निरीक्षक दिलवाडा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2023 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार *" खसरा नम्बर 168/1489 बारापत्थर, खसरा नम्बर 566/1871 दिलवाडा मौके पर एक ही किया हुआ है खसरा नम्बरान के पक्की चारदीवारी की हुई है, सामने लौहे की चद्दर का गेट, एंगल लगाकर लगाया हुआ है। उक्त नम्बरान में वर्तमान में चारदीवारी के भीतर ट्रेलर की कैबिनें पडी हुई है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में वर्तमान में पगडंडी का कच्चा*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रास्ता मौजूद नहीं है। इन खसरा नम्बर से लगायत खसरा नम्बर 168 मौके पर रिक्त है। खसरा नम्बर 166 में आवागमन हेतु रिकार्डेड रास्ता नहीं है खसरा नम्बर 166 में मौके पर बाजरा काश्त है। वर्तमान में आवागमन हेतु संबंधित काश्तकार ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए काश्त करने आते है। मौके पर कच्चा रास्ता नहीं है खाली पडी जमीन में से ही आवागमन किया जा रहा है।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 168/1489 व खसरा नम्बर 566/1871 में से 9 मीटर(30 फीट) रास्ते बाबत अनुतोष प्रदान किया गया। जो कि किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अनुसार काश्तकार को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है परंतु बिना किसी विशेष परिस्थिति व अपने निर्णय में बिना किसी विवेचन के 30 फीट चौडा रास्ता उनके द्वारा किस आधार पर अपने आदेश द्वारा दिया गया, इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग है या नहीं उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह चाहिए था कि रेस्पोडेंट/वादी को उनकी आवश्यकता अनुसार रास्ता प्रदान करते जिसमें की वह अपने कृषि उपकरण ट्रेक्टर अथवा ट्रोली बिना किसी परेशानी से उक्त रास्ते से ले जा सके, परंतु उनके द्वारा अनावश्यक रूप से 30 फीट चौडे रास्ते बाबत आदेश प्रदान किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौडाई का रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में कोई विवेचन अथवा विशलेषण नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में अधिकतम चौडाई 30 फीट का रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान तो है किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन परिस्थितयों में 30 फीट चौडा रास्ता दिया गया है ऐसा भी कोई अंकन अपने आदेश में नहीं किया गया है। चूंकि 30 फीट चौडे रास्ते से दोनों खसरों का एक बडा हिस्सा रास्ते में जा रहा है व इससे खसरों का क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत करने में न्यायिक दृष्टिकोण से विवेचना करनी चाहिए थी।

उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए उभयपक्षकारान व मौतबिरान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर उनसे आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण करते हुए व 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है या नहीं समुचित विश्लेषण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष दिनांक 06.06.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

23/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner